

न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।

सूचना


निदेशानुसार सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणवश दिनांक-13.03.2026 (शुक्रवार) को न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का न्यायालयीय कार्य नहीं हो सका।

दिनांक-13.03.2026 (शुक्रवार) को निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के न्यायालय में निर्धारित वादों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	वाद संख्या	पक्षकार	सुनवाई की अगली तिथि
1	विविध रेस्टोरेशन वाद सं. 128/16 CWJC No.- 16677/07	जंग बहादुर लाल बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य	12.05.2026 (मंगलवार)
2	निर्वाचन वाद सं. 05/22 (High Court Remand)	कृष्ण मुरारी सिंह बनाम् श्री बिभु विवेक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हलसी, लखीसराय-सह-पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी, हलसी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, प्रखण्ड-हलसी, लखीसराय एवं अन्य	07.04.2026 (मंगलवार)
3	रेस्टोरेशन वाद सं. 488/24	गीता देवी बनाम् सचिव, बुद्धा गृह निर्माण सहयोग समिति लि0, बुद्धा कॉलोनी, पटना	12.05.2026 (मंगलवार)
4	वाद सं. 512/24 (High Court Remand)	डॉ0 रूपम बनाम् दी पाटलिपुत्रा को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन लि0, पटना एवं अन्य	07.04.2026 (मंगलवार)
5	विविध वाद सं. 514/24 (High Court Remand)	चान्द कुदरियाँ पैक्स लि0 द्वारा अध्यक्ष, जलेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम् प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाय कोरपोरेशन लि0, पटना एवं अन्य	
6	रिवीजन वाद सं. 47/25	अभिमन्यु सिंह बनाम् सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सासाराम अंचल, सासाराम एवं अन्य	
7	विवाद वाद सं. 260/25	प्रेम शंकर मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम् दी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सुपरवाईजिंग स्टाफ हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि0 द्वारा सचिव, श्री पी.डी. उपाध्याय एवं अन्य	12.05.2026 (मंगलवार)
8	रिवीजन वाद सं. 271/25	रवि प्रकाश सिंह बनाम् संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना एवं अन्य	

9	रिवीजन वाद सं. 347/25	अशोक कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम् जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना एवं अन्य	24.03.2026 (मंगलवार)
10	रेस्टोरेशन वाद सं. 348/25	शशि शंकर बनाम् पिपुल्स को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसायटी लि0, पटना द्वारा सचिव एवं अन्य	12.05.2026 (मंगलवार)
11	विवाद वाद सं. 10/26	राजेन्द्र कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य	24.03.2026 (मंगलवार)

नोट :- न्यायालय के निदेशानुसार वादों की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
विशेष जानकारी हेतु न्यायालय के पेशकार से सम्पर्क किया जा सकता है।


17/3/26